

प्रेषक,

श्री अशोक नागुजी,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन।

Handwritten signature

लेवा में,

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा सचिव, 2 मंगलपुर रोड,
प्रतिष्ठान विहार नई दिल्ली।

विधा 471 अनुभाग

तकालः दिनांकः 31 अगस्त, 1994

विषय:- नोकल वरिष्ठतक स्कूल, मेरठ को शीशु-संरक्षण/संरक्षण विभाग में
दिल्ली में सम्बन्धित हेतु अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

अपूर्वता विषयक पर मुझे यह कले का निदेश हुआ है कि नोकल वरिष्ठतक
स्कूल, मेरठ को शीशु-संरक्षण नई दिल्ली में सम्बन्धित प्रदान किये जाने में इस
राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अन्तर्गत नहीं है :-

- 1- विद्यालय की बंकीकृत तोताइती का सम्य सम्य पर स्वीनीकरण
कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्राकृत स्थान अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनके उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में
विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित हल्क से अधिक हल्क नहीं
लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
वैतनिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसिल प्पर डि
डिप्लियन स्कूल तर्कीकित इन्वैन्सिजन नई दिल्ली से प्राप्त होती
है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की शिक्षा से
परिषद से सम्बन्धित तथा राज्य सरकार से अनुदान स्था: सम्बन्धित
की जायेगी।
- 5- संस्था केविक एवं शिक्षिततर कार्यवाहियों को राष्ट्रीय स्तरागत
प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कार्यवाहियों को अनुसूचित केलमानों तथा
अन्य भर्तों से कम केलमान तथा अन्य भर्तों नहीं दिये जायेगे।

- 6- संस्था कार्यवाहियों की सेवाओं कायची जायेगी और उन्हें स्तरागत/
प्राप्त स्तरागत स्तरागत माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों की
अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा सम्य सम्य पर की भी अन्तर्गत किये
जायेगी संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित पुस्तक/संरचनाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त भर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के किये कोर्ड परियोजना/
संरक्षण वा परियोजना नहीं किये जायेगा।

- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि
विद्यालय में भवन हल्क तथा प्रवेश हल्क के अट में कोई क्षरति भविक में तदुल नहीं
की जायेगी।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि
किसी सम्य यह वाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं
किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुक वा अक्षिणता बरती
जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान अन्तर्गत प्रमाण पत्र वायात से लिया
जायेगा।

भवदीय,

श्री अशोक नागुजी,
उप निदेशक।

संख्या 557/15/7-1994 तदुनिर्दिष्ट

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचारु एवं प्राव्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, नरकत।
- 2- केन्द्रीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, नरकत।
- 5- प्रबन्धक, नोकल वरिष्ठतक स्कूल, मेरठ।

आशा है

Handwritten signature
श्री अशोक नागुजी,
उप निदेशक।